फर्द अहकाम
(नियम–26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

अनवान् : साहबराम बनाम् कालूराम व अन्य (212 R.T.Act)

प्रकरण संख्या :– 136/2021 (GCMS No. 2021/193) **दायरा दिनांक : 07/09/2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/06/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी और अप्रार्थीगण सं. 7/1 ता 7/8 उपस्थित। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी साहबराम पुत्र श्री बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना ने अपना उक्त अनवान का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 5 DWM की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 की खाता संख्या 46/43 के पत्थर नम्बर 156/36 (27) के किला नं. 5 ता 8/1.012, 11 ता 25/3.795 = 4.807 है0 क0 व पत्थर नं. 156/37 (38) के किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6 ता 9/1.012, 12 ता 19/2.024, 22/2/0.228, 23/2/0.228, 24/2/0.228, 25/2/0.227 = 5.212 है0 क0 मय खाला व पत्थर नम्बर 156/38 (45) के किला नं. 3 ता 8/1.518, 13/0.253 = 1.771 है0 क0 व पत्थर नम्बर 156/44 (26) के किला नं. 1 ता 4/1.012, 7 ता 25/4.807 = 5.819 है0 क0 व पत्थर नम्बर 156/45 (39) के किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6 ता 20/3.795, 21/2/0.228, 22/2/0.228, 23/2/0.228, 24/2/0.227, 25/2/0.227 = 6.198 है0 कमाण्ड मय खाला व पत्थर नम्बर 156/46 (44) के किला नं. 1 ता 5/1.265, 7 ता 10/1.012 = 2.277 है0 क0 व पत्थर नम्बर 156/53 (40) के किला नं. 1/1 में 0.228, 1/2/0.025, 10–11/0.506, 19–20/0.506, 21/2/0.228, 22/2/0.228 = 1.721 है0 कमांड मय खाला व पत्थर नम्बर 156/54 (43) के किला नं. 1–2/0.506 है0 इस प्रकार कुल 28.311 है0 कमांड मय खाला में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 4/1 से 4/6 के पिता मृतक बीरबलराम के नाम 393/9437 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 कालूराम के नाम 1180/28311 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 2 बदरी के नाम 7078/28311 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 3 बाबूराम के नाम 1180/28311 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 5 भागीरथ के नाम 1180/28311 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 6/1 से 6/6 के पिता/दादा भादर के नाम 2359/9437 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 7/1 से 7/8 के पति/पिता भीयाराम के नाम 7078/28311 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 8 महावीर के नाम 393/9437 हिस्सा व प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1, 3, 4/1 से 4/6, 5, 6 की माता/दादी/पड़दादी मृतक मामकौरी के नाम 1180/28311 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है व चक 3 BMM की जमाबन्दी सम्वत् 2074 ता 2077 की खाता संख्या 82/69 के पत्थर नम्बर 16/05 (122) के किला नं. 17 ता 24/2.024 है0 व पत्थर नम्बर 16/6 (127) के किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 1/2/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 7 ता 14/2.024, 17/1/0.240, 17/2/0.013, 18 ता 23/1.518, 24/1/0.228, 24/2/0.025 = 5.060 है0 कमांड मय खाला व पत्थर नम्बर 16/7 (145) के किला नं. 1–2/0.506 है0 कमांड व पत्थर नम्बर 236/61 (121) के किला नं. 16/0.253, 25/0.253 = 0.506 है0 कमांड व पत्थर नम्बर 236/62 (128) के किला नं. [illegible] 0.759, 13 ता 17/1.265, 24–25/0.506 = 2.530 है0 कमांड व पत्थर नम्बर 2[illegible]/63 (144) के किला नं. 5/0.253 है0 इस प्रकार कुल 10.879 है0 कमांड व [illegible] प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 4/1 से 4/6 के पिता बीरबलराम के नाम 1/24 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 कालूराम के नाम 1/24 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 2 बदरी के नाम 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 3 बाबूराम के नाम 1/24 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 5 भागीरथ के नाम 1/24 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 6/1 से 6/6 के पिता/दादा भादर के नाम 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 7/1 से 7/8 के पति/पिता भीयाराम के नाम 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 8 महावीर के नाम 1/24 हिस्सा व प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1, 3, 4/1 से 4/6, 5–6 की माता/दादी/पड़दादी मृतक मामकौरी के नाम 1/24 हिस्सा खातेदारी दर्ज राजस्व लगातार 2 पर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.25 17:49:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रिकार्ड है। प्रार्थी ने विभाजन का वाद–पत्र पेश कर रखा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खाता के रकबा को अप्रार्थीगण खुर्द बुर्द कर रकबा बेचान करने पर उतारु हैं। अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब होकर रकबा को रहन बेचान कर दिया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी भरपाई होनी पड़ी मुश्किल होगी। इसलिये प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी तरह का दखल ना तो स्वयं करे व ना ही किसी अन्य से करावे के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में संयुक्त खाते में अंकित काश्तकारों को पक्षकार बनाते हुये प्रस्तुत किया गया है फिर भी प्रार्थी की गैर जानकारी के कोई हितबद्ध पक्षकार पाये जाने पर पक्षकार बनना चाहे तो न्यायालय में स्वीकृति के पश्चात कायम किये जावे। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर चक 5 DWM की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 की खाता सं. 48/43 की कुल 28.311 है0 कमांड मय खाला व चक 3 BMM की जमाबन्दी सम्वत् 2074 ता 2077 की खाता सं. 82/69 की कुल 10.879 है0 कमांड मय खाला में अप्रार्थीगण के द्वारा किसी भी प्रकार से स्वयं या अन्य से दखलअंदाजी न करने, इसे रहन, बेचान ना करने व मौका और रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पााबन्द किये जाने के आदेश पारित किये जावे। प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलबी हेतु नोटिस जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये। प्रार्थी के निवेदन पर स्थगन प्रार्थना–पत्र पर उसे एकतरफा सुना जाकर उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुये चक 5 DWM की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 की खाता सं. 46/43 की कुल 28.311 है0 कमांड मय खाला व चक 3 BMM की जमाबन्दी सम्वत् 2074 ता 2077 की खाता सं. 82/69 की कुल 10.879 है0 कमांड मय खाला को अप्रार्थीगण आगामी आदेश तक भूमि को रहन, बेचान न करे। इस असर की अन्तरिम निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी पर पत्रावली दिनांक 07.09.2021 से लम्बित होने के दौरान ही अप्रार्थी नं. 7/1 से 7/8 की ओर से अभिभाषक ने शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना–पत्र सहित जवाब प्रस्तुत किया व स्थगन निरस्त करने की प्रार्थना की। बाद जवाब अप्रार्थी नं. 7/1 से 7/8 प्रार्थना–पत्र पर तर्क सुने गये।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्य की ओर ध्यान दिलाते हुए निवेदन किया कि इसी भूमि के सम्बन्ध में खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हुआ है। वाद चलन के दौरान भूमि विक्रय ना हो इसलिये पूर्व में जारी स्थगन ताफैसला वाद प्रार्थना–पत्र स्थगन स्वीकार कर स्थगन ताफैसला वाद प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।

अभिभाषक अप्रार्थी नं. 7/1 ता 7/8 द्वारा तर्कों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि पूर्व में इकतरफा सुनवाई कर स्थगन तथ्यों व कानून के विपरीत स्थगन आदेश जारी किया गया है। वाद–पत्र प्रार्थी द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा हेतु अनुतोष मांगे बिना विभाजन मांगा है मात्र अंकित काश्तकार ही विभाजन की मांग कर सकता है। अंकित खातेदार के विरूद्ध साधारणतया स्थगन दिया जाना उचित नहीं। यह सिद्धान्त माननीय राजस्व मण्डल के दिशा निर्देशों व न्याय निर्णयों में प्रतिपादित किया हुआ है। प्रार्थी के हिस्से में दोनों खातों की कुल 39.190 हैक्टयर में 0.2327 है0 भूमि हिस्से में आती है जबकि प्रार्थी ने 39.190 है0 को रहन बैय ना करने हेतु स्थगन अंकित काश्तकारों के विरूद्ध मांगा है जबकि प्रार्थी स्वयं तो अंकित काश्तकार ही नहीं है ना ही उसने अपने हकों की घोषणा हेतु अनुतोष की मांग की है। अंकित काश्तकार बीरबल के मृत्यु प्रमाण–पत्र व वारिस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये है। ऐसी अवस्था में प्राथमिक रुप से मामला नहीं बनता, सम्पूर्ण भूमि पर उसका कब्जा नहीं है। आंशिक स्थगन प्रार्थी द्वारा मांगा नहीं गया [illegible] के हिस्सा की भूमि पर जबरन अकेला काबिज है और लाभ उठा [illegible] है। समस्त भूमि रिकार्ड में वारिसों के नाम अंकित ना हो [illegible] होने से ना तो मृत अंकित काश्तकारों [illegible] अन्य सुविधा प्राप्त कर पा रहे हैं। सुविधा व [illegible] अप्रार्थीगण को कानून विरूद्ध हो रही है। प्रार्थी द्वारा कानून के आज्ञात्मक प्रा[illegible]ों की पालना में अप्रार्थीगण के पंजीकृत "कारण बताओ" नोटिस मय फीस अदालत द्वारा बार–बार दि0 04.03.2022 से पारित आदेशों की पालना में प्रस्तुत नहीं किये। इस कारण प्रार्थना–पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रार्थी का निरस्त करने व पूर्व में जारी एकतरफा स्थगन को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.25 17:49:32 IST
Reason: SelfAttested

लगातार 3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
प्रकरण संख्या : 136/2021 अनवान् साहबराम बनाम् कालूराम व अन्य

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उभय पक्ष के तर्क सुनने के पश्चात पूर्ण पत्रावली का तर्कों का परिपेक्ष्य में पठन व मनन करने पर पाया कि प्रश्नगत वादग्रस्त भूमि चक 5 DWM पत्थर नं. 156/36, 156/37, 156/38, 156/44, 156/45, 156/46, 156/53, 156/54 की 28.3110 कमांड मय खाला में प्रार्थी के पिता बीरबल का 1.179 है0 रकबा है जिसमें प्रार्थी 1/7 हिस्सा अपना बताता है अर्थात उसका 0.169 हैक्टयर व 3 BMM में पत्थर नं. 16/5, 16/6, 16/7, 236/61, 236/62, 236/63 में अंकित 10.879 है0 में 1/24 हिस्सा बीरबलराम का है जिसमें प्रार्थी 1/7 हिस्सा की मांग कर रहा है। जो करीब 0.644 है0 बनता है। प्रार्थी का कथन सत्य भी माने जावे तो उसका सम्भावित हिस्सा 0.233 है0 कुल भूमि 39.190 हैक्टयर में बनना सम्भावित माना जा सकता है जिसका कि वह वर्तमान में अंकित काश्तकार नहीं है, ना ही उसने इस हिस्से के खातेदार घोषित होने की घोषणा वाद अनुतोष में मांगी है। वाद की प्रति प्रार्थना–पत्र के साक्ष्य के रुप में पत्रावली में अप्रार्थी द्वारा संलग्न की गई है। जिससे यह पुष्ट होता है कि वादी (प्रार्थी) अंकित काश्तकार नहीं है। ना ही उसके द्वारा अनुतोष के रुप में खातेदार घोषित होने की घोषणा चाही है। मेरे विचार से इन परिस्थितियों में वादी का प्राथमिक रुप से वर्तमान स्तर पर मामला नहीं बनता। द्वितीय अंकित काश्तकारों को उनके अधिकारों से स्थगन के माध्यम से वंचित किया जाना उचित नहीं है। वे काश्त की सुविधा हेतु भू–विक्रय या भू–सुधार हेतु ऋण लेने के अधिकारी काश्तकारी अधिनियम के अनुसार बनते हैं। उनको विधिक अधिकारों से वंचित करना कतई उचित नहीं जबकि अंकित काश्तकार की पात्रता के विषय में वादी द्वारा किसी प्रकार की शंका प्रकट नहीं की गई उन्हें अंकित भूमि की सीमा तक भू–उपयोग हस्तान्तरण आदि से वंचित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा पंजीकृत नोटिस दिनांक 07.09.2021 से आज तक मय पंजीकरण शुल्क प्रस्तुत किये हो प्रकट नहीं है जबकि इकतरफा स्थगन होने पर यह प्रार्थी की नैतिक जिम्मेवारी बनती थी कि वे पंजीकृत कारण बताओ नोटिस मय पंजीकरण शुल्क अदालत में प्रस्तुत करते। पत्रावली में आदेशिका 29.07.2022 से तलबी तलवाना निरन्तर प्रार्थी से मांगे जा रहे है। उनके द्वारा प्रस्तुत किया होना प्रमाणित नहीं है। जबकि 7 दिवस में तलवाना मय नोटिस प्रस्तुत किये जाने का आज्ञात्मक प्रावधान है। इस अवस्था में यह माना जाने योग्य है कि प्रार्थी द्वारा अपने कानूनी दायित्वों का सही रुप से पालन नहीं किया जा रहा। प्रार्थी द्वारा सही तथ्यों को छिपाते हुये केवल मात्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की गर्ज से अपना यह प्रार्थना–पत्र पेश कर एकतरफा स्थगन दोनों खातों की सम्पूर्ण भूमियों पर ले रखा है। जो कि कतई न्यायसंगत नहीं है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्राथमिक रुप से मामला नहीं बनता, अंकित काश्तकार के विरूद्ध बिना अंकित काश्तकारों के अधिकारों को विवादित किये प्रार्थी द्वारा स्थगन मांगा जा रहा है जो कि राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों व न्याय निर्देशों के विपरीत होने से स्वीकृति योग्य नहीं है साथ ही बाद अन्तरिम अस्थाई स्थगन प्रार्थी द्वारा अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर जानबूझकर न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थी के पिता बीरबलराम के नाम सहकाश्त में अंकित चक 5 DWM पत्थर नं. 156/36, 156/37, 156/38, 156/44, 156/45, 156/46, 156/53, 156/54 की 28.311 है0 कमांड मय खाला में बीरबलराम के 393/9437 हिस्सा अर्थात 1.179 है0 व चक 3 BMM तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 16/5, 16/6, 16/7, 236/61, 236/62, 236/63 की कुल 10.879 है0 खातेदारी कृषि भूमि में बीरबलराम के नाम से अंकित 1/24 हिस्सा [illegible] है0 कमांड में अपने विरास्तन 1/7 हिस्सा के आधार पर उक्त दोनों [illegible] खातों की कुल 39.190 है0 कमांड मय खाला भूमि को [illegible] बेचान द्वारा हस्तान्तरण ना करें का जारी एकतरफा स्थगन दिनांक [illegible].09.2021 निरस्त किये जाते है और प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उपरोक्त विवेचन अनुसार निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.25 17:49:32 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 24/06/2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)